न्य उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

रामकुवार ..... बनाम ..... मोहनी .....

मुकदमा ..... वा.द.पत्र ..... मु.नं. ..... 243 ..... वर्ष ..... 2012 .....

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	फाइल पेश। अहि. उपखण्ड अधिकारी। पार्टी प्रार्थी व विपक्षी के पक्षकार बनाने का कहा आदेश 0.R.10 CPC पेश किया गया। अहि. प्रतिवादी द्वारा अनापत्ति पेश की गई। अ. पार्टी के पक्षकार बनाने में उपयोग किया जाता है। पार्टी रामकुवार, सुखवीर, राधेश्याम व करणी सिंह आदि के नाम आदेश 0.R.10 CPC पेश किया गया। अहि. वादी द्वारा अनापत्ति पेश की गई। अ. पार्टीगण के प्रतिवादी के रूप में पक्षकार लेने हेतु पेश किया जाता है। तसदीक हेतु पेश किया गया। वादीगण तथा प्रतिवादीगण की ओर से वकीलान पेश हुए। वादीगण के पदच्युत अहि. श्री नवल किशोर, कि.गढ़। प्रतिवादी ल.ला उपपहचान अधि. श्री सुखदेव महला, महेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा तथा प्रतिवादी उपखण्ड अधिकारी के पहचान अधि. श्री नवल सोनी द्वारा की गई। तथ्यों के आधार पर अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। निर्णय अलग से लिखा जाकर आज्ञप्ति पत्रावली किया। फाइल श्री केवल कुमार होकर नकल से प्राप्त हो। दोनों पक्ष हाजिर। निर्णय आज मेरे द्वारा सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)

प्रत्याती
रघुवीर सिंह

प्रतिवादी

रिछपाल

महेश
पहचानकर्ता

हेमसिंह

संतोष

अभिषेक कुमार

गोपेश

शक्ति देवी

सत्यपाल

मनिष कुमार